

प्रेषक,

डॉ अमीर आफाक अहमद फैजी

विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" के अंतर्गत कैमूर जिला के अंचल- चैनपुर, मौजा-नौधरा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5817.99 लाख (अन्दावन करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि ₹300.00 लाख (तीन सौ लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

"बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" अंतर्गत, कैमूर जिला के अंचल- चैनपुर, मौजा-नौधरा (खाता संख्या-515, खेसरा संख्या-197, 198, 199, 216) भूमि पर 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के आधार पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5817.99 लाख (अन्दावन करोड़ सत्रह लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में राशि ₹5138.00 लाख मात्र रुपये बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त योजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि ₹300.00 लाख (तीन सौ लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राशि मांग सं०- 30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष- 051-निर्माण- समूह शीर्ष- राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0105-अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०-30-4225040510105, विस्तृत शीर्ष- 53-मुख्य निर्माण कार्य एवं वस्तुगत शीर्ष-01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बी०टी०सी० फॉर्म-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता संख्या-PNBPLA007, LEDGER ID- 1558, (RECEIPT HOA- 8448-00-120-0017-00-01) में अंतरण करेंगे। तत्पश्चात् CFMS जनित चालान टी०वी० सहित कार्यकारी एजेंसी एवं प्रशाखा-08 (आवासीय विद्यालय) को उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

5. कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना उक्त राशि के व्यय के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-441, दिनांक-23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभाग के पत्रांक-4989 वि०(2), दिनांक-16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. योजना का कार्यान्वयन "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" की मार्ग-निर्देशिका तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र/परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

10. संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में गति लाने हेतु प्रयासरत रहेंगे।

11. इस संबंध में निर्गत विभागीय स्वीकृति/आदेश सं०-695, दिनांक-05.02.2026 को निरस्त किया जाता है।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
13. योजना का क्रियान्वयन मार्ग निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
14. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाता है, जो उसके लिए प्राधिकृत हो।
15. उपरोक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. उपरोक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महालेखाकार कार्यालय, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा-शाखा (दो प्रतियो में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक
पटना, दिनांक 22/04/26

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-33/2019...../

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

22/4

E-Mail